मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक R-5489-दो/16

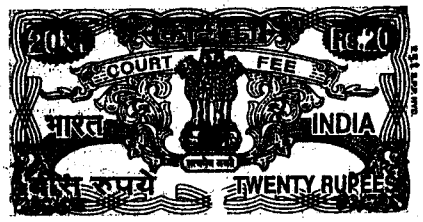

10

1. अंगदराय तनय राम भरोसा ब्रा0 उम्र 85 वर्ष पेशा खेती,
2. यशवंतराय मिश्र तनय राम भरोसा ब्रा0 उम्र 95 वर्ष पेशा खेती,

दोनो निवासी ग्राम बंधैया तहसील हनुमना जिला रीवा (म0 प्र0)

---- निगरानी कर्तागण

आवेदक अभिभाषक श्री ओ.पी. मिश्रा एड. द्वारा पेश / 3-11-16

3.11.16

विरूद्ध

1. रोशन लाल तनय अगस्तमुनि उम्र 66 वर्ष,
2. प्रदीप कुमार तनय उमा शंकर मिश्र

दोनो निवासी ग्राम बंधैया तहसील हनुमना जिला रीवा (म0 प्र0)

---- गैर निगरानी कर्तागण

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

न्यायालय तहसीलदार हनुमना वृत्त पहाड़ी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 39 ए. 12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरूद्ध <u>निगरानी, अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ई.</u>

मान्यवर,

<u>निगरानी कर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है</u> :-

01. मामले में यंह अविवादित है कि सीमांकन सुदा भूमि खसरा क्रमांक 197 स्थित ग्राम बंधैया तहसील हनुमना जिला रीवा गैर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 5489–दो/16 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–04–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार हनुमना वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 39/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 28–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। निगरानी के साथ संलग्न सूचना पत्र की सूचना पत्र की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्तकारों को सूचना जारी की गई है। सूचना पत्र में सीमांकित भूमि के चारो दिशाओं के सरहदी कास्तकारों को सूचना दी जाकर उनके हस्ताक्षर अंकित है। स्थल पंचनामा पर भी सरहदी कास्तकारों होने का तर्क किया है किन्तु उनके द्वारा सरहदी कास्तकार होने का कोई दस्तावेजी प्रामण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो सके कि आवेदक सीमांकित भूमि का सरहदी कास्तकार है। नायब तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति को सुनकर इसी आधार पर निरस्त किया है।	

आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य